

डिक्री बमुकदमें ईब्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-154/2020

जुम्मे खाँ पुत्र हैदर अली जाति मुसलमान निवासी चक 16 एस.एल.डबल्यू मियांवाली
ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. हैदर अली पुत्र कायम खाँ जाति मुसलमान निवासी चक 16 एस.एल.डबल्यू मियांवाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मामसैन पुत्री हैदर अली पत्नी फलकशेर } जाति मुसलमान निवासी चक 16 SLW
3. नूरसैन पुत्री हैदर अली पत्नी मोहम्मद सराज } मियांवाली ढाणी तहसील टिब्बी।
4. माफिया बीबी पुत्री हैदर अली पत्नी अल्लादिता } जाति मुसलमान नि. कीकरवाली
5. नजीरा बीबी पुत्री हैदर अली पत्नी लियाकत अली } तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरबंस सिंह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 16 एस.एल.डबल्यू खाता संख्या 152/144 सम्वत् 2075 ता 78 में अंकित कुल 2.5300 है0 आराजी में से चक 16 एस.एल.डबल्यू प0न0 178/318 मु0 28 किलानं0 19,22, ता 25 कुल 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से अलग करने तथ चकनं0 16 एस.एल. डबल्यू के खाता सं0 152/144 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल.....X...मुब्लिक...X...निल...X.....बाबत...X...निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X.....अदा करें। बसक्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2020 को जारी किया गया।



hiana
(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी